आधार ऑपरेटर के लिए पात्रताऐं
(यूआईडीएआई, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित)

1. उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
2. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12 वीं उत्तीर्ण
3. कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान और अग्रेजी और हिन्दी टाइपिंग का न्यूनतम ज्ञान।
4. विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत टेस्टिंग एवं सर्टिफाईड एजेंसी से आधार ऑपरेटर/सुपरवाईजर का प्रमाण–पत्र धारक।
5. स्थानीय पंचायत समिति/तहसील/नगरीय क्षेत्र के निवासी को प्राथमिकता।
6. सुपरवाईजर हेतु अतिरिक्त पात्रता के रूप में उसे आधार नामांकन का पूर्व अनुभव होना आवश्यक होगा।
7. आधार नामांकन व अद्यतन हेतु आवश्यक संसाधन (कम्प्यूटर,लेपटॉप,स्कैनर, प्रिंटर, बायोमैट्रिक आईरिस व स्लैप स्कैनर, कैमरा सहित सम्पूर्ण किट) इच्छुक व्यक्ति के पास उपलब्ध होना।

आधार नामांकन ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र

फोटो

आवेदक का नाम (श्री / श्रीमती / सुश्री)..

पिता / पति का नाम..

उम्र...शैक्षणिक योग्यता.......................................

आधार संख्या.......................................मोबाईल नम्बर...

ई–मेल ....

पता (वर्तमान)..

पता (स्थायी)...

क्या पूर्व में ऑपरेटर के रूप में कार्य किया है...
(यदि हॉ तो विवरण दे)

क्या ई–मित्र कियोस्क संचालक है...
(यदि हॉ तो विवरण दे)

क्या वर्तमान में कहीं नियोजित है..
(यदि हॉ तो विवरण दे)

(यूआईडीएआई द्वारा प्राधिकृत टेस्टिंग एवं सर्टिफाईंग ऐजेंसी द्वारा जारी आधार सुपरवाईजर / ऑपरेटर के प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।)

यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर अंकित तथ्य सही एवं सत्य है, यदि भविष्य यह असत्य पाये जाते है तो यह मेरी पूर्णतया जिम्मेदारी होगी।

हस्ताक्षर

स्थान –
दिनांक –

सहमति पत्र

राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार (रजिस्ट्रार) की ओर से आधार नामांकन कार्य हेतु एनरोलमेंट एंजेसी (EA) नियुक्त है और राज्य में आधार केन्द्र स्थापना व संचालन हेतु अधिकृत है।

मैं..(नाम / पिता या पति का नाम) ,उम्र..............................(वर्ष), निवासी..(स्थाई पता) यूआईडीएआई, नई दिल्ली द्वारा जारी आधार ऑपरेटर / सुपरवाईजर प्रमाण पत्र धारक हूँ और एनरोलमेंट एजेंसी (EA) के अधीन आधार नामांकन कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

मैं निम्न शर्तो व निर्बन्धनों के अध्यधीन आधार नामांकन व अद्यतन का कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ–

1. यह कि मैं निर्धारित स्थान पर स्वयं के संसाधनों से आधार नामांकन व अद्यतन का कार्य करने के लिए बाध्य रहूंगा।
2. यह कि मुझे यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित शुल्क ही आधार सेवाओं की एवज में निवासी द्वारा देय होगा। जो सेवाएं निःशुल्क दी जानी है उनका कोई शुल्क नहीं वसूला जायेगा।
3. यह कि मैं नियमानुसार निर्धारित सिक्योरिटी राशि नामांकन एजेंसी के खाते में जमा करवाऊंगा।
4. यह कि मुझे निर्धारित स्थान एवं समय पर समस्त कार्यो दिवसों (यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित) पर उपस्थित रहकर कार्य करना होगा।
5. यह कि मेरे द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपना कार्य प्रत्यायोजित नहीं किया जायेगा।
6. यह कि मैं वह सभी सूचनाएं आधार केन्द्र पर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करूंगा जिसके निर्देश नामांकन एजेंसी / रजिस्ट्रार द्वारा दिये जायेंगे।
7. यह कि रजिस्ट्रार / नामांकन एजेंसी / जिला प्रशासन या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी समय केन्द्र में प्रवेश कर किसी भी प्रकार का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ओर मैं निरीक्षण कार्य में पूर्ण सहयोग करूंगा।
8. यह कि मैं वह सभी रिकॉर्ड संधारित कर सुरक्षित रखूंगा जो आरआईएसएल / यूआईडीएआई द्वारा समय–समय निर्धारित / निश्चित किये जाये और मेरे द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित यदि कोई सूचना जिला अथवा राज्य स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा मांगी जाती है तो उसे उपलब्ध कराने के लिए मैं बाध्य रहूंगा।
9. यह कि मेरे द्वारा किये गये सफल नामांकन की निर्धारित शुल्क यूआईडीएआई से प्राप्त होने पर ही रजिस्ट्रार द्वारा बैंक खाते में जमा करवाया जायेगा। इस प्रक्रिया में हुए विलम्ब की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार / नामांकन एजेंसी की नहीं रहेगी।
10. यह कि आधार नामांकन व अद्यतन कार्यो में हुई त्रुटियों / अनियमितताओं व लापरवाहियों के लिए मैं स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूंगा। मेरे विरूद्ध की जाने वाली कानूनी व वैधानिक कार्यवाही की जिम्मेदारी मेरी ही रहेगी। त्रुटियों के लिए मुझ पर लगाई गई पेनल्टी का भुगतान मुझे स्वयं करना होगा। यदि इसके लिए मुझे अपनी ओर से कोई राशि जमा करवानी पड़ती है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।
11. यह कि यदि मैं भविष्य में आधार नामांकन व अद्यतन कार्य करने का इच्छुक नहीं रहता हूँ तो मैं जिला प्रशासन / नामांकन एजेंसी को सम्यक रूप से सूचित कर अपनी समस्त देयताओं का भुगतान करने के बाद कार्यमुक्त हो सकूँगा। यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं तो मेरी सिक्योरिटी राशि एवं अन्य कोई देयताएं भी जब्त की जा सकेगी।
12. यह कि जिला प्रशासन / नामांकन एजेंसी किसी भी समय मेरे द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने, अनियमितताओं मे लिप्त होना पाये जाने पर तुरन्त प्रभाव से मुझे कार्य से पृथक कर सकेंगे और मेरे स्थान पर अन्य ऑपरेटर को ऑनबोर्ड करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।
13. यह कि यूआईडीएआई, नई दिल्ली व राज्य स्तर पर लिए गये किसी भी नीतिगत निर्णय के आधार पर शर्तो एवं निर्बन्धनों में समय–समय पर परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार / नामांकन

एजेंसी / जिला प्रशासन स्वतंत्र रहेंगे व मैं उन सभी परिवर्तित शर्तों को मानने के लिए बाध्य रहूँगा।

14. यह कि राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा कोई विशिष्ट अभियान संचालित किये जाने की स्थिति में मैं उनके निर्देशानुसार अभियान में सहयोग एवं सहभागिता प्रदान करूँगा।
15. यह कि मैं आधार (पंजीकरण एवं अपडेट) विनियम 2016 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करूंगा और यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित ऑपरेटर के समस्त कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करूंगा।
16. यह कि मैं विभाग द्वारा आयोजित समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित रहूंगा एवं आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करूंगा।
17. यह कि मैं आधार नामांकन अथवा अद्यतन के दौरान निवासियो से लिए गये दस्तावेज तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनायें रखूंगा।
18. यह कि मैं ऐसे निवासियों की विशेष सहायता करूंगा जो कि निरक्षर, दिव्यांग अथवा किसी भी प्रकार से निर्योग्यताओं से पीड़ित हो।
19. यह कि यदि किसी भी विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जिला स्तरीय समिति / जिला कलक्टर का निर्णय मानने के लिए बाध्य रहूंगा।
20. यह कि यदि किन्ही विशेष कारणों के चलते अल्प अवधि के लिए मेरे द्वारा केन्द्र पर सेवाएं प्रदान करना सम्भव नहीं होगा तो इसके लिए मैं लिखित में सम्बन्धित अधिकारियों को समय पर सूचित करूंगा ताकि उनके द्वारा सेवाओं को निरन्तर रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।

दिनांकः..........................

स्थानः..........................

हस्ताक्षर......................

नाम............................

1. साक्षी..

2. साक्षी..